

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2015

का.आ.3064(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 03.10.1997 की अधिसूचना सं. का. आ. 698(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “माता अमृतानन्दमया चैरिटेबल ट्रस्ट, अमृतापुरी पीओ, कोल्लम जिला केरल-690525” द्वारा “समस्त भारत में भूमि का विकास एवं 1,00,000 घरों का निर्माण, “अमृता कुटीरम” की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 1998-99 को शुरू होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 1 पर अधिसूचित किया था; जिसे बाद में दिनांक 21.09.2000 की अधिसूचना सं. का. आ. 874(अ) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 को शुरू होने वाली तीन वर्षों की अवधि हेतु बढ़ाया गया; जिसे फिर से 30.10.2003 की अधिसूचना सं. का. आ. 1257(अ) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2004-05 को शुरू होने वाले तीन वर्षों की अवधि हेतु बढ़ाया गया; जिसे फिर से 29.03.2007 की अधिसूचना सं. का. आ. 467(अ) द्वारा वित्त वर्ष 2006-07 को शुरू होने वाले तीन वर्षों के हेतु बढ़ाया गया; जिसे फिर से दिनांक 06.08.2009 की अधिसूचना सं. का. आ. 2051(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 से शुरू होने वाली तीन वर्ष की अवधि हेतु बढ़ाया गया; जिसे बाद में दिनांक 09.10.2012 की अधिसूचना सं. का. आ. 2422(अ) द्वारा वित्त वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि हेतु और बढ़ाया गया था;

और जबकि दिनांक 30.10.2003 की अधिसूचना सं. का. आ. 1257(अ) द्वारा अनुमानित लागत को 1400.00 लाख रूपए से बढ़ा कर 7400.00 लाख रूपए किया गया और जिसे बाद में दिनांक 29.03.2007 की अधिसूचना सं. का. आ. 467(अ) द्वारा 7400.00 लाख रूपए से बढ़ाकर 300.00 करोड़ रूपए किया गया ।

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के अठारह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, “माता अमृतानन्दमया चैरिटेबल ट्रस्ट, अमृतापुरी पीओ, कोल्लम जिला, केरल-690525” द्वारा चलाई जा रही “समस्त भारत में भूमि का विकास एवं 1,00,000 घरों का निर्माण, “अमृता कुटीरम” की परियोजना अथवा स्कीम को 300.00 करोड़ रूपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना, वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2015-16, 2016-17 और 2017-2018 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ।

[सं. 254/2015/फा. सं. वी -27015/3/2015 एस ओ (रा. स.)]

मन्मथ लाल मीना, उप सचिव(राष्ट्रीय समिति)